न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर – 39/2024 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रोशनी पत्नि लोकेश कुमार जाति मीना निवासी नाननवास तहसील बरनाला

–प्रार्थीया

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला

–अप्रार्थी

वकील प्रार्थीया– श्री विनोद कुमार जोशी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 26/06/25

प्रार्थीया की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 132/174 रकबा 1.50 है0 भूमि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है जिसको प्रार्थीया ही काश्त कर सरकारी लगान करती चली आ रही है। प्रार्थीया के अलावा उक्त आराजी से किसी अन्य व्यक्ति का कोई संबंध ताल्लूक, या वास्ता नहीं है प्रार्थीया की भूमि की डोल मेड़ को पड़ौसी खातेदारान आये दिन ध्वस्त करके प्रार्थीया की भूमि को दबाने की नियत रखते है। जिसके चलते प्रार्थीया को अपनी भूमि की डोल मेड़ के संबंध में पड़ौसी खातेदारों से आये दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। आये दिन पड़ौसी खातेदारों से होने वाले विवादों के दृष्ट्रिगत प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के मद संख्या–1 में वर्णित अपनी आराजी का दिनांक 15.06.2024 को सीमाज्ञान करवा लिया है। जिससे की प्रार्थीया को अपनी ही भूमि के संबंध में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। अनावश्यक विवादो से बचने के लिये पुलिस इमदाद के द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना चाहती हैं। जो न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीया ने दिनांक 15.06.2024 को तहसीलदार महोदय के कार्यालय में सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश कर सीमाज्ञान तो करवा लिया है। किन्तु मौके पर विवाद की संभावना है। इसलिए पत्थरगढी नहीं हो पायी है। प्रार्थीया पुलिस इमदाद से पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें कि राजस्व टीम गठित कर पुलिस जाप्ते के साथ आराजी हाल खसरा नम्बर 132/174 रकबा 1.50 है0 स्थित ग्राम नाननवास तहसील बरनाला की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीया की और से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बरनाला की और से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम बाढ नाननवास पटवार मण्डल मोरपा भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बाटोदा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 132/174 रकबा 1.50 है0 स्थित ग्राम बाढ़ नाननवास तहसील बरनाला स्थित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीया अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीया की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया

उपखण्ड अधिकारी बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम बाढ़ नाननवास पटवार मण्डल मोरपा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बाटोदा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा 132/174 रकबा 1.50 है0 स्थित ग्राम बाढ़ नाननवास तहसील बरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0 अ0 निरीक्षक बाटोदा को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीया की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक बाटोदा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीया की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/06/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

26/06/25

(सुनील कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

बामनवास (सवाईमाधोपुर)

उपखण्ड कलक्टर

बामनवास (स०मा०)